

<p>तारीख दिवस</p>	<p>दुपन या कार्यवाही का विवरण</p>	<p>पृष्ठ संख्या दिनांक</p>
<p>17¹⁰/₂₄</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वसुधाग उपस्थित। पत्रावली द्वारा प्रसारण कागजी तारीख 20/11/24 को पेश की।</p>	
<p>20¹¹/₂₄</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक को पेश हो। 10/2/25</p>	
<p>10²/₂₅</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। जन्मप्रमाणिका का प्रमाणित कागजी तारीख 11/5/25 को पेश हो</p>	
<p>1⁵/₂₅</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक को पेश हो। 14/7/25</p>	
<p>14⁷/₂₅</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक को पेश हो। 18/9/25</p>	
<p>18⁹/₂₅</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक को पेश हो। 9/11/25</p>	
<p>9¹⁰/₂₅</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली संन-2021 से न्यायालय में जर्कर है। एव 2021 से ही अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना सम्मन पेश करने हेतु अधिवक्ता प्रार्थी को आदेशित किया गया। तदुपरांत श्री अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से आदेशांक तलवाना सम्मन पेश नहीं किये गये हैं। अतः तलवाना सम्मन पेश करने हेतु अधिवक्ता प्रार्थी को कई अवसर व लगभग 1 वर्ष का समय मिलने के उपरांत भी तलवाना सम्मन पेश नहीं करने से पत्रावली O-9-R-5 CPC के तहत इली स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फेलत शूमार होकर नम्बर से कम की जाकर वापस लौट रहा है।</p>	

08/2021
only 2191
OARS

उपखण्ड अधिकारी
निवाई(टोंक)